अध्याय 4

ई-टीडीएस योजना का कार्यान्वयन

4.1 आयकर विभाग ने टीडीएस रिटर्नों के संग्रहण, समेकन तथा संसाधन के स्वचालन के भाग के रूप में "स्रोत पर काटे गए कर के रिटर्नों की इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग योजना, 2003" की अधिसूचित किया था। इस योजना के अनुसार, कोरपोरेट तथा सरकारी कटौतीकर्ताओं को वि.व. 2004-05 के बाद से टीडीएस रिटर्नों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोनिक रूप (ई-टीडीएस रिटर्न) में प्रस्तुत करना होगा। आयकर विभाग की ओर से राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा लिमिटेड (एनएसडीएल) कटौतीकर्ताओं से ई-टीडीएस रिटर्नों को प्राप्त करता है, तथा ओएलटीएएस बैंको के माध्यम से करों के भुगतान की सूचना प्राप्त करता है। करदाता एनएसडीएल द्वारा स्थापित कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) के माध्यम से अपने चालानों की स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकते है।

टीडीएस संसाधन के स्वचालन के उद्देश्य के साथ तथा कर कटौतीकर्ताओं करदाताओं, निर्धारण अधिकारियों (एओज) को व्यापक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए आयकर विभाग ने नवम्बर 2012 में टीडीएस के लिए केंद्रीकृत संसाधन सैल अर्थात सीपीसी (टीडीएस) प्रांरभ किया था। सीपीसी (टीडीएस) कटौतीकर्ताओं, करदाताओं तथा निर्धारण अधिकारियों (एओज़) को ट्रेसस (टीडीएस मिलान, विश्लेषण तथा सुधार इनेब्लिंग प्रणाली) से टीडीएस से संबंधित ऑनलाईन सेवाओं सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करती है। टीआरएसीइज अपने पोर्टल के माध्यम से करदाताओं को फॉर्म 26 एएस को देखने तथा डाऊनलोड करने जैसी सेवाए प्रदान करता है। कटौतीकर्ता टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16 तथा 16ए) डाऊनलोड करते है जो कटौतीकर्ताओं द्वारा जमा कराए गए कर क्रेडिटों तथा कटौती कराने वालों द्वारा दावा किए गए कर के क्रेडिटों के बीच उचित मिलान को सरल बनाते है। चार्ट 4.1 सीपीसी (टीडीएस) के कार्य प्रवाह प्रक्रिया को दर्शाता है।

कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहण कर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए तिमाही रिटर्नों का संसाधन ट्रेसस के माध्यम से किया जाता है तथा विसंगतियों के लिए मांग नोटिस भी प्रणाली के माध्यम से बनाए तथा सीधे कर कटौतीकर्ताओं/ संग्रहणकर्ताओं को भेजे जाते है। कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहणकर्ताओं द्वारा उनके नोटिस के अनुपालन को सरल बनाने तथा इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी टीडीएस यूनिटों की है। टीडीएस/टीसीएस प्रणलियों की कार्यप्रणाली और राजस्व संग्रहण में प्रगति को मॉनीटर करने के लिए एओज के उपयोग हेतु सीपीसी (टीडीएस) के पोर्टल में विभिन्न कार्यात्मकताएं उपलब्ध है।

इस अध्याय में एओ पोर्टल के माध्यम से एओज (टीडीएस) को उपलब्ध कराई गई कार्यात्मकताओं के उपयोग के मामले दर्शाए गए है।

चार्ट 4.1: सीपीसी (टीडीएस) की कार्यप्रवाह प्रक्रिया

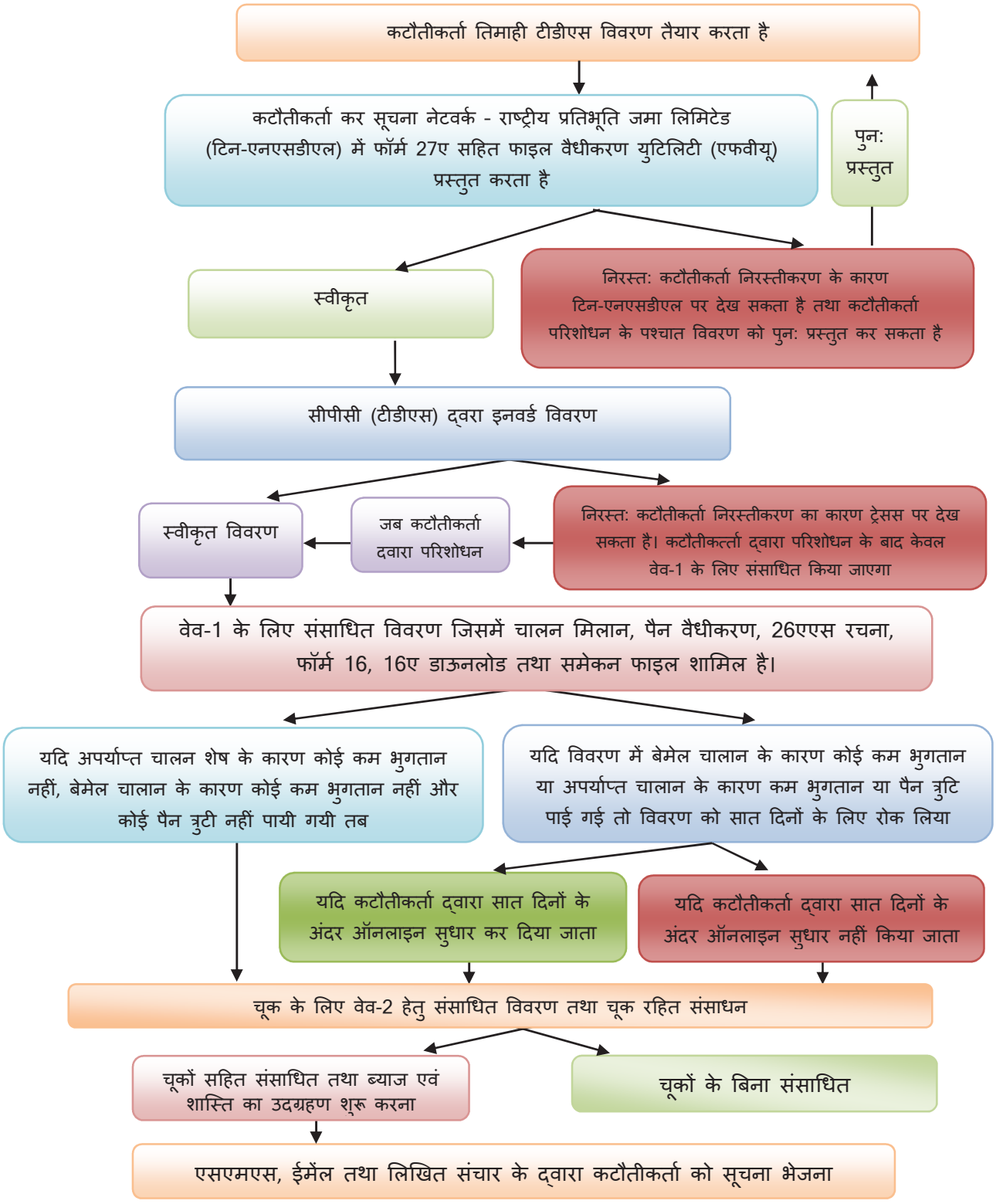

स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)

4.2 अप्रयुक्त चालान

टीडीएस पर सूचना प्राधिकृत बैंकों की शाखाओं तथा एनएसडीएल द्वारा ओलटास में अपलोड किए गए ई-भुगतान के माध्यम से प्राप्त की गई थी। ओलटास में प्रत्येक भुगतान के लिए अनुरूपी चालान होता है और प्रत्येक भुगतान को विशिष्ट चालान पहचान संख्या नामत: सीआईएन दिया जाता है। कटौतीकर्ता द्वारा दर्ज किए तिमाही टीडीएस विवरणों या ई-टीडीएस रिटर्नों को चालान मिलान पैन वैधीकरण, 26 एएस रचना आदि के लिए संसाधित किया जाता है। यदि कोई पैन त्रुटि नहीं है और बेमेल चालान के कारण कोई कम भुगतान नही हुआ तथा अपर्याप्त चालान शेष के कारण कोई कम भुगतान ही हुआ है तो विवरण को चूक रहित संसाधित माना जाएगा तथा चालान को प्रयुक्त समझा जाएगा। कोई चालान निम्नलिखित परिस्थितियों के अतंर्गत प्रणाली में अप्रयुक्त रह सकता है:-

i) एक कटौतीकर्ता के मामले में, जहां कर के कम भुगतान के कारण या टीडीएस विवरण (ई-टीडीएस रिटर्न) में गलत चालान विवरण उद्धृत करने के कारण मांग उठाई गई हैं, आयकर विभाग के ऑन लाईन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलअीएएल) मॉडयूल में ऐसे कटौतीकर्ता के अकाउँट में चालान उपलब्ध होगा जिसका उपयोग/ दावा नहीं किया गया है।

ii) जहां कटौतीकर्ता ने स्रोत पर काटे गए करों का भुगतान कर दिया है किंतु अभी तक या तो टीडीएस विवरण के माध्यम से टीडीएस संव्यवहारों की सूचना नहीं दी या; टीडीएस विवरण में अपूर्ण संव्यवहारों की सूचना दी थी। ऐसे संव्यवहारों के प्रति चालान भी कम्प्यूटर प्रणाली में अप्रयुक्त रह जाते हैं।

iii) किसी मामले में, जहां कटौतीकर्ता ने लेट फाइलिंग फीस के कारण मांग या; विलंब से भुगतान पर ब्याज सहित ब्याज या; विलंब से कटौती ब्याज का भुगतान किया है तथा उस चालन की ऐसी बकाया मांग के प्रति दावा करने के लिए टीडीएस विवरण के माध्यम से सूचना नहीं दी गई है।

अप्रयुक्त चालानों को सीपीसी (टीडीएस) में आंतरिक रूप से मिलान नहीं किया जा सकता क्योंकि केवल कटौतीकर्ता की विशेष मांग के लिए विशेष चालान की मैपिंग की पुष्टि की जा सकती है; अप्रयुक्त चालान बैंकों या अन्य द्वारा गलत सूचना के कारण कर कटौतीकर्ता के अकाऊंट में पड़ा रह सकता है।

लेखापरीक्षा ने 19 सीआईटी (टीडीएस) प्रभारों में देखा कि वि.व. 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए एओ (टीडीएस) पोर्टल में प्रसारित अप्रयुक्त चालानों की संख्या ₹ 7.90 लाख थी जो ₹ 18,500.06 करोड़ के थे। अप्रयुक्त चालानों के ब्यौरे ₹ 0.91 लाख कटौतीकर्ताओं को भेजे गए थे। उपरोक्त में से, ₹ 0.09 लाख अप्रयुक्त चालानों को क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा टैग किया गया था और ₹ 280.07 करोड़ की बकाया मांग को समाधित किया गया था। ब्यौरे *परिशिष्ट 4* में दर्शाए गए है। तथापि, सीपीसी (टीडीएस) द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर दिया गया डाटा कि ₹ 752.47 करोड़ की राशि वाले 84.91 लाख अप्रयुक्त चालानों में से 988 चालान[12] टैग किए गए थे और वि.व. 2012-13 से 2014-15 से संबंधित शेष टीडीएस राशि का केवल 6.28 *प्रतिशत* समाधित लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित डाटा के साथ मेल नहीं खाता है।

तालिका 4.1: अप्रयुक्त चालान सीपीसी (टीडीएस) द्वारा रिपोर्ट की गई समेकित आंकडे

विव	अप्रयुक्त चालानों की संख्या	निहित राशि ₹ करोड़ में	एओज़ (टीडीएस) द्वारा टैग किए गए अप्रयुक्त चालान	निहित राशि ₹ करोड़ में
2012-13	29,89,613	4,716.52	462	509.28
2013-14	27,48,291	3,585.70	285	197.62
2014-15	27,53,556	3,689.16	241	45.57
जोड़	**84,91,460**	**11,991.38**	**988**	**752.47**

स्रोत: सीपीसी (टीडीएस)

सीपीसी (टीडीएस) के डाटा से लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि अप्रयुक्त चालानों को टैग करने की सुविधा का कुल 474 एओज़ में से केवल 94 एओज द्वारा उपयोग किया गया था और शेष 380 एओज़ प्रणाली का उपयोग नहीं कर रहे थे।

एओज़ द्वारा अप्रयुक्त चालानों को टैग करने में निष्फल के परिणामस्वरूप उनकी संबंधित माँग के 99 *प्रतिशत* से अधिक की मैपिंग नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप कर प्रदाता उनके टीडीएस क्रेडिटों का सत्यापन नहीं कर पा रहे थे जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी हुई।

[12] 31 मार्च 2016 तक

4.3 समाधेय टीडीएस माँग

बकाया टीडीएस माँग जो कि तुरंत वसूली योग्य है और किसी भी विवाद या मुकदमेबाजी या सुधारों से मुक्त है को ''समाधेय टीडीएस माँग'' की श्रेणी में जोड़ा जा सकता है। बकाया समाधेय टीडीएस माँग में टीडीएस का कम भुगतान और उस पर ब्याज टीडीएस प्रतिगमों की देर से फाइलिंग के कारण देरी से फाइलिंग शुल्क निहित होता है।

टीडीएस प्राधिकरण[13] को एओ-पोर्टल पर सीपीसी (टीडीएस) द्वारा सूचित कुल माँग लेने द्वारा नुरंत वसूलने योग्य समाधेय का पता लगाने की आवश्यकता है। समाधेय माँग का पता लगाने के बाद यदि माँग चालानों के बेमेलपन या गलत पैन या किसी अन्य कारणों से है तो एओ (टीडीएस) को समाधेय माँग का पता लगाने के बाद सुधार/ संशोधित विवरण की फाइलिंग के लिए निर्धारिती को पत्र जारी करने की आवश्यकता है। यदि समाधेय माँग के संबंध में निर्धारिती द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई एओं वसूली उपाय कर सकता है ताकि माँग 'शून्य' तक घट जाये।

सीपीसी (टीडीएस) ने सूचित किया (सितम्बर 2016) कि वि.व. 2012-13 से 2014-15 के लिए ₹ 17.798.12 करोड़[14] की समाधेय माँग थी जिसमें कम भुगतान, कम भुगतान पर ब्याज, देर से भुगतान पर ब्याज और फाइलिंग शुल्क के देर से भुगतान के कारण मांगे निहित है। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि कुल 474 एओज़ में से केवल 219 एओज़ सीपीसी (टीडीएस) में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। एओ पोर्टल पर बकाया समाधेय कर माँग की सुविधा को बकाया समाधेय कर माँग की स्थिति की निगरानी और सुधार/संशोधित विवरण की तदनुसार फाईलिंग के लिए निर्धारितियों को पत्र जारी करने के लिए सभी एओ (टीडीएस) द्वारा उपयोग करने की आवश्यकता है। आगे यदि समाधेय माँग के संबंध में निर्धारिती द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, एओ वसूली उपाय कर सकता है ताकि माँग को 'शून्य' किया जा सके।

4.4 एओ (टीडीएस) द्वारा चूककर्ताओं की रिपोर्ट की गैर उपयोगिता

सीपीसी (टीडीएस) मॉड्यूल में एक चयनित वर्ष के साथ-साथ चूकों की विभिन्न श्रेणियों जैसे कि कम भुगतान, कम कटौती, देर से भुगतान, देर से कटौती, देर से फाइलिंग, कम भुगतान/ देर से भुगतान/ कम कटौती पर ब्याज,

13 प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी (टीडीएस), सीआईटी (टीडीएस) अपर सीआईटी (टीडीएस), एओ (टीडीएस)

14 31 मार्च 2016 तक

धारा 220(2) के तहत नवीनतम सुधार और ब्याज की प्रोसेसिंग के प्रति अतिरिक्त ब्याज के तहत सभी चूककर्ता टैन के माँग विवरण देते हुए रिपोर्ट बनाने की सुविधा है। प्रोसेसिंग चरण के दौरान चूकों का पता लगाया गया और एओ स्तर पर उपलब्ध कराया गया। एओज़ को इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

सीपीसी (टीडीएस) ने कर माँग की चूक के संबंध में डाटा प्रदान कराया जिसने दर्शाया कि ₹ 20.381.14 करोड़ वि.व. 2012-13 से 2014-15 के लिए विभिन्न कटौतीकर्ताओं के प्रति लंबित था।

लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि 474 एओज़ में से केवल 219 एओज़ ने कर चूक के परिसमापन के लिए सीपीसी (टीडीएस) पोर्टल पर एओ के लिए उपलब्ध सुविधा का उपयोग किया था। तथ्य को देखते हुए कि वहाँ पर विभिन्न कर कटौतीकर्ताओं के प्रति बड़ी लंबित माँग थी, एओ (टीडीएस) द्वारा कर चूककर्ताओं रिपोर्ट की गैर-उपयोगिता ने उचित अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण कर माँग के गैर-परिसमापन के मामले को केवल और बिगाड़ा।

एग्जिट सम्मेलन के दौरान, सीबीडीटी ने पैरा 4.2 से 4.4 के संदर्भ में कहा कि एओज़ द्वारा सीपीसी (टीडीएस) की बेहतर उपयोगिता के लिए उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए हैं और फील्ड फार्मेशनों के लिए क्षमता निर्माण अभ्यास की भी संचालन किया।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि इस काडर को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, सीबीडीटी एओज़ सहित सभी पर्णधारकों द्वारा सीपीसी (टीडीएस) में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग को सुनिश्चित कहने के लिए कुछ व्यवहार्य और सत्यापन योग्य कदम वाली एक प्रणाली को संस्थापित कर सकता है। आगे, एक प्रणाली विकसित की जा सकती है जहाँ संबंधित एओज़ द्वारा पोर्टल के लॉग इन/उपयोग की ट्रेल का सत्यापन किया जा सकता है।

सीबीडीटी ने सुझावों पर सहमति दी और कहा कि उचित कार्रवाई लेखापरीक्षा द्वारा कहे जाने पर की जायेगी।

4.5 निष्कर्ष

अप्रयुक्त चालानों की सीमा चालान की संख्या के साथ-साथ सम्मिलित टीडीएस राशि के अनुसार महत्वपूर्ण हैं और अप्रयुक्त चालानों की टैगिंग की सुविधा का सभी एओज द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा। समाधेय माँग की वसूली और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चूकों के समाशोधन के लिए सीपीसी (टीडीएस) पोर्टल पर एओ (टीडीएस) के लिए उपलब्ध सुविधा की गैर-उपयोगिता अधिक है।

4.6 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि

क. सीबीडीटी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि सभी एओज़ अप्रयुक्त चालान, समाधेय माँग की वसूली और कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चुकों के समाधान के मामलों को संबोधित करने के लिए सीपीसी (टीडीएस) पोर्टल में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।

सीबीडीटी सुझाव पर सहमत (दिसम्बर 2016) हुआ और कहा कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जायेगी।

ख. सीबीडीटी जल्द वसूली के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है चूँकि यह किसी भी विवाद से मुक्त है।

सीबीडीटी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि सीपीसी (टीडीएस) ने फील्ड फॉर्मेशन को इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा माँगों की शीघ्र वसूली के लिए ज्ञान प्रदान किया। इसके उनकी माँगों के समाशोधन के लिए कटौतीकर्ताओं *कों भी ज्ञान दिया था।*